दीपावली के लिए एसटी की 40 अतिरिक्त बसें

पुणे से अमरावती आने वाले यात्रियों के लिए शिवशाही | स्लीपर कोच की भी व्यवस्था

आठ डिपो से हर दिन 2272 फेरियां

प्रतिनिधि/ प्रतिदिन अखबार

अमरावती, 20 अक्टूबर- दीपावली में पुणे से अमरावती आने के लिए यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए 22 से 26 अक्टूबर तक विभिन्न मार्गों पर 40 नई तथा आरामदायक बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है, ऐसी जानकारी विभागीय नियंत्रक नीलेश ने दी है. आनॉलाइन पद्धति से बस में टिकट बुकिंग कराने की व्यवस्था होने की जानकारी देते हुए बेलसरे ने बताया कि 26 अक्टूबर तक इस सुविधा के तहत टिकिट बुकिंग कराई जा सकेगी.

एक तरफ पुणे से अमरावती के लिए आरामदायक यात्रा के लिए साधारण बस का क्रिराया 996 तथा शिवशाही बस का किराया 1473 रूपए है. एसटी महामंडल की स्लीपर बस भी है, उसका टिकट 1300 रुपए तक है. एसटी बस की तुलना में निजी बस से यात्रा करना यात्रियों के लिए बहुत महंगा पड़ता है. निजी बस चालक इस कालावधि में प्रति सवारी 4000-5000 रुपए वसूलते हैं.

अमरावती जिले में एसटी महामंडल के 8 डिपो में 418 बसें हैं, उनमें 16 शिवाई, 399 लालपरी, 19 शिवशाही बसें हैं. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सरकार की ओर से बहुत सी नई बसें शुरू की गईं. सभी नई बसें लंबे मार्ग पर चलाई जा रही हैं. एसटी महामंडल का अमरावती में विभागीय कार्यालय है. इसके अंतर्गत अमरावती-1, अमरावती-2 के अलावा परतवाड़ा, वरुड़, चांदूर रेलवे, दर्यापुर, मोर्शी, चांदूर बाजार, बडनेरा में डिपो है.

अमरावती जिले में हर दिन एक लाख, 30 हजार किलोमीटर की यात्रा एसटी बसें करती हैं. जिले आठों डिपो को मिलाकर 2272 फेरियां ये बसें करती हैं. स्कूलों-महाविद्यालयों में अवकाश होने की वजह से जिले में 432 फेरियां बंद करके उन्हें तहसील क्षेत्र के लिए उपयोग में लाया जाएगा. यात्रियों की बढ़ता संख्या के कारण महामंडल की ओर से यह निर्णय लिगा गया है.

> यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतते हुए सभी स्थानों के लिए नई तथा आरामदायक बसों को उपलब्ध कराया गया है. महामंडल की ओर से लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत सी बसें उपलब्ध कराई गई हैं, यात्री इस सुविधा का लाभ उठाएं.
>
> **- नीलेश बेलसरे (विभागीय नियंत्रक, एसटी महामंडल (अमरावती)**

अवैध रेती परिवहन कर रहे 51 वाहनों पर 97 लाख का जुर्माना

अवैध रेती तस्करों के खिलाफ मोर्शी व वरुड उपविभाग में कार्रवाई

मोर्शी - मोर्शी उपविभाग के वरुड और मोर्शी तालुकाओं में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 1 अप्रैल, 2025 से 20 अक्टूबर, 2025 तक 51 वाहनों पर 97,02,477 रुपये का जुमार्ना लगाया गया है. मोर्शी उपविभाग में अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए उपविभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि वरुड तहसील मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगी हुई है और मध्य प्रदेश राज्य से वरुड-मोर्शी के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध रेत का परिवहन किया जाता है. इसके लिए, नियमानुसार, महाराष्ट्र राज्य की सीमा के भीतर किसी अन्य राज्य से रेत का परिवहन करते समय, महाराष्ट्र राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही महाराष्ट्र राज्य से शून्य रॉयल्टी परिवहन पास प्राप्त करना आवश्यक है.

जिला कलेक्टर, अमरावती द्वारा यह शून्य रॉयल्टी पास जारी किए जाते हैं. मोर्शी के उपविभागीय अधिकारी ने अन्य राज्यों से बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन करने वाले वाहनों और लाइसेंस से अधिक रेत परिवहन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए मोर्शी और वरुड तहसील के लिए विशेष दल गठित किए हैं.इसी प्रकार, वरुड तालुका के पुसला में एक चेक प्वाइंट स्थापित किया गया है जहां वाहनों की जांच की जा रही है. 1 अप्रैल, 2025 से 20 अक्टूबर, 2025 तक मोर्शी उपविभाग में 51 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन पर 97,02,477 रुपये का जुमार्ना लगाया गया है. इसमें से 76,00,529 रुपये वसूल कर सरकारी खाते में जमा कर दिए गए हैं. शेष वाहन मालिकों ने उच्च न्यायालय में अपील की है और मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वसूली लंबित है.

अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व विभाग की विभिन्न टीमें तैनात की गई हैं और अवैध रेत परिवहन पर नकेल कसने के लिए मोर्शी के उपविभागीय अधिकारी प्रदीप कुमार पवार के मार्गदर्शन में मोर्शी और वरुड के सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों ने कमर कस ली है और अवैध गौण खनिज उत्खनन और परिवहन पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है.

अमरावती जिल्हा कृषी साहित्य विक्रेता सेवा संघ, अमरावती.
नोंदणी क्रमांक : महाराष्ट्र/8777/अमरावती
कार्यालय - प्रगती कृषी सेवा केंद्र, तहसिल कार्यालयासमोर अमरावती.

समस्त शेतकरी बांधवांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

- अध्यक्ष -	- सचिव -	- कोषाध्यक्ष -
श्री.मिलिंद विलासराव इंगोले	श्री.संजय उर्फ प्रवीण श्री.उंबरकर	श्री.वीरेंद्र रामनाथजी शर्मा
अमरावती. 9822226304	अमरावती मो. 9860091263	अमरावती मो. 9422190088

उपाध्यक्ष : श्री मनोहर मोहनलालजी अग्रवाल (परतवाडा), श्री. सुहास नारायणराव ठाकरे (मोर्शी), श्री.राजेश गौरीशंकरजी अग्रवाल (अमरावती), श्री. सुजित पुखराजजी मुंधडा (धामणगांव रेल्वे), श्री.अभिषेक अरुणराव कडू (अमरावती)

सहसचिव : श्री.उमेश गोविंदरावजी सोनोने
सहयोगी खजिनदार : श्री.पंकज बन्सीलालजी गांधी (अमरावती)

कार्यकारिणी सदस्य

- श्री. कैलाश बाबुलाल मालवीय (धारणी)
- श्री.जगदीश नरसिंगदासजी सारडा (अंजनगांव सुर्जी)
- श्री.पुरुषोत्तम रतनलालजी अगवाल (अचलपूर)
- श्री.गिरीश दिनेशचंद्रजी राठी (वरुड)
- श्री.श्रीकृष्ण भिमरावजी काळमेघ (दर्यापुर)
- श्री.जयेंद्र हरफुलाबजी टावरी (चांदूर रेल्वे)
- श्री.सुनीत नामदेवरावजी शिरभाते (नांदगाव खंडे.)
- श्री.अमित गिरीषजी गांधी (तिवसा)
- श्री.योगेश सुरेशचंद्रजी भट्टड (भातकुली)
- श्री.सुनिल सुखदेवरावजी बावस्कर (चांदूर बाजार)
- श्री.घनशाम ठाकुरदासजी राठी (अमरावती)
- श्री.राजेश भगीरथजी बजाज (अमरावती)
- श्री.निलेश राधाकिसनजी गांधी (अमरावती)
- श्री.जयेश संजयलालजी लढ्ढा (अमरावती)
- श्री.निलेश नामदेवराव कणेरकर (अमरावती)

अमरावती जिल्हा कृषी साहित्य विक्रेता सेवा संघ, अमरावती

पुराने विवाद में आरोपी से मारपीट

प्रतिनिधि/ प्रतिदिन अखबार

अमरावती, 20 अक्टूबर- नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र निवासी आरोपी प्रेम दीपेश काकडे द्वारा थाने में संबंधित आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज था. जिसे लेकर जांच अधिकारी आरोपी को मौके पर लेकर गए थे. लेकिन शिकायतकर्ता प्रेम और उसकी मां ने जांच अधिकारी के सामने ही आरोपी को चाटा मारा. इसके बाद मामला पुलिस थाने में पहुंचा. इंद्रजीत भीमराव नितनकर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रेम काकडे के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है.

हजारों रुपए की शराब बरामद

प्रतिनिधि/ प्रतिदिन अखबार

अमरावती, 20 अक्टूबर- बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत रविवार की रात को अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम चलाई गई. जिसके तहत साइन नगर और गणपति नगर में छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस में आरोपी नितिन गोवारे और नीलेश विलासराव खडसे को हिरासत में लिया. दोनों के घर की तलाशी लेने पर 15 हजार रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है. पुलिस ने शराब बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुरानी खुन्नस में फाइटर से मारा

प्रतिनिधि/ प्रतिदिन अखबार

अमरावती, 20 अक्टूबर- वलगांव थाना क्षेत्र के शिराला निवासी प्रफुल्ल राठौर सामान लेने के लिए बाजार में गया हुआ था. इस समय वहां पर मोटरसाइकिल से आरोपी पवन मेश्राम पहुंचा. रुपए के पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ. मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी पवन ने फाइटर से प्रफुल्ल के सिर पर और पीठ पर वार कर दिया. जिसमें प्रफुल्ल गंभीर रूप से घायल हो गया. उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में लाया गया. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने घायल प्रफुल्ल का बयान दर्ज कर आरोपी पवन मेश्राम के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया.